



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में छेडछाड की घटना कारित करने के आरोपी इरशाद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष 02 माह का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



विमलेश कुमारी
P.O. बागपत

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त इरशाद पुत्र रहीश निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा वादिया की लडकी के साथ छेडछाड करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 424/21 धारा 354ए/054बी/323 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.06.2026 को मा0 न्यायालय एसीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इरशाद को दोषी पाते हुए 05 वर्ष 02 माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



हे0का0 अमन कुमार
कोर्ट पैराकार

@baghatpolice

baghatpolice



Baghat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक 04.06.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 25 हजार रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.05.2026 को थाना दोघट पर मु0अ0सं0 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अंकित पुत्र मुकेश निवासी मौ0 रायजागान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली उम्र करीब 25 वर्ष आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण लगातार फरार चल रहे थे। अभियुक्त



की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शांतिर/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र मुकेश निवासी मौ0 रायजागान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित का अपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 45/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत
- 2-मु0अ0सं0 52/2024 धारा 379/411/427 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत
- 3-मु0अ0स0 164/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 उ0नि0 पुष्पराज थाना दोघट जनपद बागपत
- 3- उ0नि0 प्रान्शू राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत
- 4- है0का0 808 गोविन्द थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 04.06.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 64/2026 धारा
103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित
अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त
की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय एक खोखा
कारतूस .32 बोर बरामद किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में
अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा
रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट
पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0
64/2026 धारा
103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस व
3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित
अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस
अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त
की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक
अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 खोखा
कारतूस .32 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा
रही है ।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

प्रिंस पुत्र देवेन्द्र नि0 ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली हाल पता E-19 गंगानगर
नवशक्ति धाम थाना गंगानगर जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण-

- निशांदेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष श्री केवल सिंह थाना दोघट बागपत
- 2- उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट बागपत
- 3- उ0नि0 प्रान्शु राजपूत थाना दोघट बागपत
- 4- म0उ0नि0 नीरज चौधरी थाना दोघट बागपत
- 5- है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट बागपत
- 6- है0का0 706 दयाचन्द थाना दोघट बागपत
- 7- का0 951 पीताम्बर थाना दोघट बागपत
- 8- का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट बागपत



दिनांक 04.06.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 381/26 धारा 308(5) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदेही पर भय दिखाकर ली गई 03 अंगूठी (पीली धातु) व 900 रुपये नगद बरामदा

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.06.26 को थाना बड़ौत पर आवेदक श्री मनोज जैन पुत्र श्री निवास जैन निवासी नया बाजार थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र सुजल जैन को जान से मारने का भय दिखाकर उससे



10,000 रुपये ट्रांसफर कराना व 02 सोने की अंगूठी ले लेना तथा सह आवेदक नवीन जैन के पुत्र ऋषि जैन से भी जान से मारने का भय दिखाकर 1100 रुपये ट्रांसफर करना व 01 सोने की अंगूठी ले लेना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 381/26 धारा 308(5) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 381/26 धारा 308(5) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनकी निशांदाही पर भय दिखाकर ली गई 03 अंगूठी (पीली धातु) व 900 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1-निखिल पुत्र बिजेन्द्र निवासी सरनावली थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी चौ0 चरण सिंह विहार कालोनी बिजरौल रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।

2-वीशू पुत्र संजीव निवासी सरनावली थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी चौ0 चरण सिंह विहार कालोनी बिजरौल रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 03 अंगूठी पीली धातु
- 900 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री संदीप राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 813 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5-रि0का0 264 दिनेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 04.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 363/26 धारा 74/75(1)/191(2)/191(3)/351(2)/352/333/109(1)/ 115(2) बी.एन.एस.व 7/8 पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 363/26 धारा 74/75(1)/191(2)



/191(3)/351(2)/352/333/109(1)/ 115(2) बी.एन.एस व 7/8 पोक्सो एक्ट में वाँछित चल रहे अभियुक्त इरफान को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इरफान पुत्र आस मौहम्मद निवासी खत्ता रोड माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-है0का0 151 संदीप दहिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-है0का0 652 मोहित थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 04.06.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 195/26 धारा -
109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में
वांछित/प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.26 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री कपिल कुमार पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने



लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त रितिक उर्फ हिमांशु पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम सांकलपुठठी थाना चांदीनगर जनपद बागपत व 02 अन्य साथी नाम पता अज्ञात द्वारा ग्राम डौला में स्थित जोरको रेस्टोरेन्ट वादी/रेस्टोरेन्ट संचालक श्री कपिल कुमार उपरोक्त के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना तथा अवैध अस्लाह से फायर करना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 195/26 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 195/26 धारा -109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित/प्रकाश में आये 03 अभियुक्तों रितिक उर्फ हिमांशु, अंकित व रितिक को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त रितिक उर्फ हिमांशु के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व एक गाडी स्कार्पियो न0 UP14FZ-0176 व एक मोटर साईकिल स्प्लेन्डर नं0- UP14GE8477 बरामद हुई है। बरामद तमंचा के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.रितिक उर्फ हिमांशु पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम सांकलपुठठी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2. अंकित पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम सांकलपुठठी थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3.रितिक पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम सांकलपुठठी थाना चांदीनगर जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस।
- एक गाडी स्कार्पियो न0 UP14FZ-0176
- एक मोटर साईकिल स्प्लेन्डर नं0- UP14GE8477

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 331 सुनील कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3- है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4- है0का0 689 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5- है0का0 743 अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 04.06.2026

बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शहजाद पुत्र अल्लामेहर निवासी ग्राम पाँची थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2-शाहरुख पुत्र जननी निवासी ग्राम पाँची थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3-एक महिला ।
- 4-योगेन्द्र उर्फ गिन्दर पुत्र संसार निवासी ग्राम तमेलगाढी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 44 वर्ष
- 5-आजद पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम तमेलगाढी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष
- 6- फिरोज पुत्र सौकत निवासी ग्राम चांदनहेडी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना चांदीनगर पुलिस टीम । (03 वारंटी)
- 2-थाना दोघट पुलिस टीम । (02 वारंटी)



